

अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी।

वाद संख्या-...154/2016-17

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
14/3/22	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख के साथ संलग्न है। रैयत उपस्थित है, उनके द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किया है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. हुकुमनामा रजिस्टर डीड ✕2. लगान रसिद ✓3. शुद्धि पत्र ✕4. खतियान ✕ <p>रैयत द्वारा उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया जिससे निम्न निष्कर्ष निकलता है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. अल्प-2 लगान रसीद ✓ कागजात2. शुद्धि पत्र रसिद है3. जमाबंदी 301 हीन का रसिद कागजात है <p>अतः उपयुक्त जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।</p> <p>14/3/22 अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी।</p> <p>14/3/22 लेखापित एवं संशोधित।</p>	